न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

दिनांक: 25.03.2021

प्रकरण संख्या– 214 / 2017 वाद

उनवान

1. शंभुलाल पिता हेमा जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0
2. हजारी पिता हेमा जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0
3. भागीरथ पिता डालू जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0
4. देउ पत्नी डालू जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0
5. गोपीलाल पिता रतु जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0

................वादीगण

।। बनाम ।।

1. ओमप्रकाश पिता वरदीचंद जाति दर्जी, उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0
2. शंकर पिता उदा जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0
3. मदनलाल पिता प्रताप जी जाति महाजन उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0
4. मांगु पिता भेरा जाति रेगर उम्र वयस्क, निवासी बानसेन तह0 भदेसर राज0
5. तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
6. ग्राम पंचायत बानसेन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बानसेन तहसील भदेसर
7. गमेरा पिता जयचन्द जाति माली नि. बानसेन तहसील भदेसर राज0

........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. टिन्नेसी एक्ट 1955

उपस्थित– श्री औंकारलाल रायका वकील वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:55 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत वाद के [illegible] कि वादी ने एक वादपत्र राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत [illegible] गया कि :–

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

1. यह कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी ग्राम बानसेन पटवार हल्का बानसेन में स्थित होकर आराजी का विवरण निम्न प्रकार है–

कि संवत् 2071 से 2074 की जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 449 की आराजी नंबर 1300 रकबा 1.1000 हैक्टर लगानी 39.60 रूपये, आराजी नंबर 1301 रकबा 0.18 हैक्टर लगानी 4.46 रूपये, आराजी 1299 रकबा 0.0900 हैक्टर लगानी 0.00 रूपये, आराजी नंबर 1298 रकबा 0.1200 हैक्टर लगानी 4.32 रूपये स्थित होकर साक्ष्य नकल जमाबंदी पेश है। जिसमें से आराजी नंबर 1300 एवं 1301 में से वादीगण द्वारा कुछ भाग संपरिवर्तित करवा दिया है। जिसकी प्रति मय नक्शा ट्रेस संलग्न है।

2. यह कि उक्त वादीगण की आराजीयात पर आने जाने के लिए मुख्य रोड से सटमा आराजी नंबर 1297 रकबा 0.24 हैक्टर गे.मु. रास्ता दर्ज होकर वादीगण अपनी उपरोक्त आराजीयात पर इसी रास्तें से आ–जा रहे है। उक्त आराजी नंबर 1297 से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है इसके बावजुद भी प्रतिवादीगण भुजबल, लठबल एवं उँची राजनिति व रसुकाल के आधार पर वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात पर आने–जाने के उक्त सरकारी रास्तें पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण कर निजी उपयोग में लेने पर आमादा है। जबकि उक्त आराजी नंबर 1297 रास्त सरकारी रेकार्ड में दर्ज है। यदि प्रतिवादीगण उक्त सरकारी रास्तें पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर मालिकाना हक जाहिर करेगें तो भविष्य के लिए वादीगणों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पडेगा साथ ही सरकार को अपनी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिये अलग से कार्यवाहीयां करनी पडेगी। इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा जब अवैध कब्जा करने के प्रयास शुरू करते ही वादीगण को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया।

3. यह कि यदि प्रतिवादीगण को उक्त सरकारी आराजी रास्ता पर कब्जा करने व अवैध निर्माण करने से नहीं रोका गया तो वादीगणों को अपनी आराजी पर जाने आने के रास्तें से सदैव के लिये वंचित होना पडेगा ऐसी स्थिति में वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सुरत में संभव नहीं हो पायेगी इसलिये प्रतिवा[illegible]षेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.12.2017 को [illegible]ण के उक्त सरकारी रास्तें में अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण कार्य करने की धमकि दी जिससे वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो अंदर अवधि प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने के सरकारी रास्ता आराजी नमबर 1297 रकबा 0.24 हैक्टैयर रास्ते पर अवैध कब्जा एवं निर्माण कार्य प्रतिवादीगण न करें ना करावें और यदि दौराने वाद किसी प्रकार का मौके की यथास्थिति में परिवर्तन कर देवें तो जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पुनः हटाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री उमेश आगाल द्वारा अन्डरटेंकिगं दी गई तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

1. वादीगण द्वारा जो वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है वह आप न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है क्योंकि उक्त वाद में वादीगण हेतु जिस आराजी हेतु दाद चाही गई वह आराजी नम्बर 1300 व 1301 के आवासीय संपरिवर्तीत भूमि 2400 वर्गमीटर के संबंध में आराजी नमबर 1297 बिलानाम रास्ता से संबंधित है जो कि आबादी भूमि से संबंधित है व राहत भी आबादी भूमि हेतु मांगी गई जो आपके श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार की नहीं है । सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार है ।
2. वादीगण द्वारा यह वाद गलत तथ्यों पर पेश किया है व आबादी भूमि के तथ्य को छिपा कर आप न्यायालय में पेष किया है इस कारण वादीगण द्वारा उक्त आराजी नमबर 1300, 1301 की आवासीय रूपान्तरित भूमि का एक वाद वादी शम्भूलाल व हजारी लाल द्वारा सिविल न्यायालय मण्डफिया में पेश किया है। जो कि वाद 25/2017 व प्रार्थना पत्र 24/2017 पर पंजीकृत होकर विचाराधीन है व जिसकी आगामी पेशी 27.02.2018 को है। इसलिए उक्त वाद आप न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।
3. यह कि विवाद ग्रस्त आराजी आबादी भूमि है व हम प्रतिवादीगणों का उक्त आबादी आराजी 1300 व 1301 में कोई विवाद हिस्सा संबंधित नहीं है हम सामाजिक कार्यकर्ता है व जनहित के कार्यो के कारण वादीगणों द्वारा तंग करने हेतु यह वाद बिना किसी क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के होते हुए आप न्यायालय में पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

4. यह कि अन्य तथ्य बहस के दौरान पेश होगें।

अतःप्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार फरमया जाकर वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारीज फरमाया जावे ।

तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4एवं 6 , 7 ने प्रकरण में भाग नहीं लिया गया न ही वादोत्तर प्रस्तुत किया गया जिससे विपक्षीगण के विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादीगण की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई :—

1. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 449 संवत् 2071—2074 प्रदर्श—1
2. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 1 प्रदर्श—2
3. नक्शा ट्रेस मौजा बानसेन प्रदर्श—3
4. संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.07.2017 की सत्यापित प्रति प्रदर्श—4
5. बयान गवाह श्री गोपीलाल पिता रतु जाट निवासी बानसेन
6. बयान गवाह लोभचन्द पिता गोपीलाल जाट निवासी बानसेन

लायक अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंनें वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि :- वादीगण के खातेदारी में दर्ज आराजीयात पर आवागमन का एक मात्र रिकार्डेड बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 1297 में दर्ज रेकार्ड है जिस पर से वादीगण एवं आम लोग आते जाते है । अन्य कोई मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है प्रतिवादीगण उक्त मार्ग पर अतिक्रमण कर उस पर निर्माण कार्य करना चाहते है इसलिए उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे अन्यथा वादीगण को अपूरणीय क्षति कारीत होगी तथा रास्ते संबंधी समस्या उत्पन्न हो जावेगी । विपक्षी संख्या 1 ने कुछ लोगों के साथ एक गिरोह बना रहा है तथा अवैध रूप से राजकीय सम्पत्ति पर कब्जा कर हडपने की दुरभिसंधी करते है तथा अपने आपको सामाजिक कार्यकर्ता बताते है जबकि विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व कई पुलिस मुकदमे चल रहें है एवं ग्राम में आज दिनांक तक आमजन के हित का कोई कार्य नहीं कराया गया इसके विपरीत वादीगण से भी द्वेषता रखते हुए भूमि के उपयोग उपभोग एवं भूमि सुधार के संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना चाहते जबकि प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

से कोई सरोकार नहीं है । विपक्षी संख्या 05 के प्रतिनिधि ने वकील वादीगण के कथन का समर्थन किया कि ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में भाग नहीं लेने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 अपोषणीय हो जाने से खारीज किया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिवचनों से साबित कराया है कि मौजा बानसेन की आराजी नंबर 1300 रकबा 1.1000 हैक्टर लगानी 39.60 रूपये, आराजी नंबर 1301 रकबा 0.18 हैक्टर लगानी 4.46 रूपये, आराजी 1299 रकबा 0.0900 हैक्टर लगानी 0.00 रूपये, आराजी नंबर 1298 रकबा 0.1200 हैक्टर भूमि वादीगण के नाम अन्य आराजी नम्बरान 1184, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसमें से आराजी नम्बर 1300 रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.1950 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1301 रकबा 0.18 हैक्टेयर में से 0.0450 हैक्टैयर भूमि का आबादी में संपरिवर्तन हो चुका है । आबादी में संपरिवर्तित भूमि के संबंध में कोई अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं । परन्तु न्यायालय की अवधारणा है कि आराजी नम्बर 1297 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि गै0मु0रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है जिस पर आर0टी0ए0 1955 के प्रावधानों के तहत प्रद्वत्त शक्तियों का उपयोग कर सकते है । ग्राम बानसेन का राजस्व नक्शा अवलोकन से प्रतित होता है कि आराजी नबम्र 1297 सरकारी रास्ता है इसी बिलानाम रास्ता की आराजी से होकर ही वादीगण अपने खेतों तक पहूंचते है । यहां प्रश्न यह उत्पन्न है कि आराजी नम्बर 1297 रकबा 0.24 हैक्टैयर भूमि राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है जिस पर न तो वादीगण का कोई अधिकार उत्पन्न है न ही प्रतिवादीगण का अधिकार है लेकिन वादीगण की दिगर कृषि भूमि आराजी नम्बर 1299, 1298 ,1184, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 पर पहुंच हेतु उपलब्ध राजकीय सुलभ मार्ग आराजी संख्या 1297 गे0मु0रास्ता जिसका सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है उस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं 7 द्वारा अवैधानिक तौर पर अतिक्रमण कर बिना सक्षम स्वीकृती निर्माण करा लिया जाता है तो राजकीय मार्ग [illegible] है । यदि ऐसा अतिक्रमण होता है तो वास्तविक क्षति वादीगण को होने की [illegible] किया जा सकता है । प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा संतुलन [illegible] जाता है । संज्ञेय (congnizable) है कि राजकीय सम्पत्ति आराजी पर बिना किसी उचित कारण के अतिक्रमी के अवैध कब्जे की रक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

नहीं की जा सकती है । केवल मात्र सार्वजनिक हित सर्वोच्च है । उत्तरदाता की ओर से वाद का खण्डन नहीं किये जाने से भी वाद के तथ्यों को बल मिलता है । अतः वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा उभय पक्ष को शाश्वत व्यादेश (स्थायी निषेधाज्ञा) से पाबन्द किया जाता है कि मौजा बानसेन की खसरा नम्बर 1297 रकबा 0.24 हैक्टेयर गे0मु0रास्ता के प्राकृतिक स्वरूप में किसी प्रकार अतिक्रमण कर अवरोध उत्पन्न नहीं करें किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखें इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वंय करें न अपने किसी नौकर ,चाकर, हाली एजेन्ट के माध्यम से करावें ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner